



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939

No. 289]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

का.आ. 336(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस (एनएल: 93) को पार्श्विक पारी आधार पर दिनांक 08 जनवरी, 2018 (अपराह्न) से 25 मार्च, 2020 या आगे के आदेशों, जो भी पहले हो, तक गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-35013/01/2017-प्रशा. III-एमसीए]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2018

S.O. 336(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints Shri Amardeep Singh Bhatia, IAS (NL : 93) as Director in the Serious Fraud Investigation Office, on lateral shift basis, with effect from the 08th January, 2018 (A/N) to 25th March, 2020, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-35013/01/2017-Ad.III-MCA]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.